

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-9/सै० 6 मेला स्वी०-01/16-...../रा०, पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषय:- राज्य के प्रमुख मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि में से रुपये 46,00,000/- (छयालीस लाख रुपया) मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के प्रमुख मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि की निकासी की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	समाहर्ता के पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4
1	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, समस्तीपुर-2016 के आयोजन एवं वर्ष -2015 का बकाया सहित।	25.00 (पच्चीस लाख)	पत्रांक-109/रा०, दिनांक-21.03.2016 एवं पत्रांक-108/रा०, दिनांक-21.03.2016
2	बाबा हरिगिरिधाम श्रावणी मेला, बेगुसराय-वर्ष-2015 का बकाया।	1.00 (एक लाख)	पत्रांक-527/रा०, दिनांक-14.03.2016
3	देव चैती छठ मेला,-2016 औरंगाबाद।	7.00 (सात लाख)	पत्रांक-84/रा०, दिनांक-07.04.2016
4	सिमरिया मेला, बेगुसराय-2015 का बकाया।	13.00(तेरह लाख)	पत्रांक-701/रा०, दिनांक-21.04.2016
	कुल	46.00 (छयालीस लाख)	

2. राशि की निकासी शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0002-हॉट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण-2701 लघु कार्य माँग सं०-40 विपत्र कोड- एन०-2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता होंगे।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 (वी०)(2) दिनांक-17.09.98 के आलोक में किया जायेगा।
5. इस राशि की निकासी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात की जायगी।
6. समाहर्ता को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।
7. इस स्वीकृत राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा किसी भी स्थिति में अगले वर्ष में इस मद में राशि विमुक्त करने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। डी०सी० विपत्र के मामले में इसका समायोजन नियत समय सीमा के अंदर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०


(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-..... 338 (9)/रा०,पटना-15,दिनांक:- 25-5-16

फैक्स /
ई-मेल ✓

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर एवं मगध प्रमण्डल, गया/ समाहर्ता, समस्तीपुर, औरंगाबाद एवं बेगुसराय / संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) /माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।